कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण विभाग) ग्वालियर
(शारदा बिहार कॉलोनी सिटी सेन्टर) दूरभाष –0751–2330948 Email – twelfaregwa-mp@nic.in
क्रमांक / पो.मे.छा. / परिपत्र / 2014–15 / 1431 ग्वालियर, दिनांक 4/8/14

–: परिपत्र :–

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को पो.मे.छा.स्वीकृति / वितरण वर्ष 2014–15 संबंधी दिशा निर्देश।

.....00......

शासन की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की पोस्ट मेंट्रिक योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में शैक्षणिक संस्थाओं में स्नातक से स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेशित इस वर्ग के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृति / वितरण के संबंध में निर्देश प्रसारित किये जा रहे है, यह मार्गदर्शी निर्देश अनुसूचित जाति, जनजाति के केन्द्र, एवं राज्य शासन के पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति नियम एवं निर्देशों के अधीन होंगे।

शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख / प्राचार्य अपनी संस्थाओं में समय सीमा में छात्रवृत्ति के प्रकरण तैयार करा कर वितरित करने के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे।

1 छात्रवृत्ति के प्रकरण तैयार किये जाना :–

1.1 **स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर** :– पूर्व की भांति महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के ऑन–लाईन आवेदन किये जायेगें। छात्रवृत्ति का ऑन–लाईन आवेदन करने एवं छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये वेबसाइट का पता– http://www.scholarshipportal.mp.nic.in है । छात्रवृत्ति के ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। अगर किसी कारण वश कोई छात्र–छात्रा अपना आवेदन ऑन–लाइन कर नही भर पा रहा है, तो संस्थाए अपने स्तर पर भी आवेदन ऑन–लाइन भरने की कार्यवाही कर सकती है।

1.2 इस प्रणाली का उपयोग हेतु प्रत्येक संस्था के छात्रवृत्ति से संबंधित प्रभारी अधिकारी को लॉग–इन आइडी तथा पासवर्ड दिया गया है। जिन संस्थाओं को लॉग–इन संबंधित पासवर्ड नहीं मिला है वे इसे कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

3. **आवेदन पत्रों की पूर्णता –**

संस्था द्वाराछात्रवृत्ति के आवेदन में यथा स्थान समस्त कालमों की पूर्तियां पूर्व रूप से की जावे, कोई कालम रिक्त नही रहे जो लागू नही है वहां स्पष्ट अंकित किया जाये स्थान रिक्त नही छोडा जाये, अन्यथा आवेदन पत्र मान्य नही किये जावेगें। आवेदन पत्र के पृष्ठ क्र. 8 पर संलग्न अनुसूची की पूर्ण पूर्ति के साथ पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। इसके बिना आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा। आवेदन में पिता के व्यवसाय का स्पष्ट खुलासा एवं पूर्ण विवरण दिया जाना अनिवार्य है।

2.1 नवीन आवेदन पत्र के संलग्न स्थायी जाति प्रमाण पत्र (एसडीएम) द्वारा ही प्रदत्त मान्य होगा एवं आय प्रमाण पत्र, जो तीन वर्ष से पुराना नही हो मान्य होगा , विगत वर्षो की अंक सूची, गेप प्रमाण पत्र आदि आवश्यक होंगे।

2.2 नवीनीकरण के आवेदन स्कालरशिप साइट पर पृथक से कॉलम मे दिया गया है। नवीनीकरण वाले कॉलम पर क्लिक कर अपना आवेदन भर सकते है। जिसमे आपके पूर्व वर्ष के आवेदन का नंबर,जन्म दिनांक, पिता का नाम, एवं अन्य जानकारियॉ प्रविष्ट की जा सकेगी। ततपश्चात प्रिन्ट निकालकर आय, गत वर्ष की अंकसूची, आदि संलग्न कर परीक्षण कर ही प्रस्ताव ऑनलाईन तैयार कर लॉक करने के पश्चात अग्रेषित कियेा जाये ।

2.3 प्रायः अशासकीय संस्था प्रमुखों द्वारा आवेदन पत्र अपूर्ण एवं उनके स्तर से परीक्षण किये बगैर ही नोडल संस्था में प्रस्तुत कर दिये जाते है जो कि, आपत्तिजनक है। आवेदन में अंकित समस्त बिन्दुओं की पूर्ति एवं स्थाई जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, विगत वर्षो की अंकसूची आदि नही होने संबंधी त्रुटि पाये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त होने की स्थिति में यदि कोई छात्र–छात्रा छात्रवृत्ति से वंचित रहते है इसके लिये संस्था पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगें। कार्यालय से बाद मे आवेदन स्वीकृत नही किये जायेगे, एवं छात्र–छात्रा को छात्रवृत्ति की राशि संस्था द्वारा स्वयं वहन करेगी।

2.4 अशासकीय संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आवेदन के साथ मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अन्यथा मान्यता प्रमाण–पत्र के अभाव मे आवेदन निरस्त किया जावेगा ।

2.5 आवेदन पत्रो मे पालक और संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है ।

2.6 प्रत्येक आवेदन के संलग्न विगत वर्ष की अंकसूची संलग्न होना अनिवार्य है।किसी वर्ष की अंक सूची के अभाव मे उस वर्ष का प्रमाणित गेप प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.7 ऑन लाईन आवेदन मे वर्ग एवं उपजाति स्पष्ट अंकित की जावे।

2.8 प्रत्येक संलग्न पत्रक अंकसूची, जाति, आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जिसमे प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर स्पष्ट अंकित होना चाहिए, पद मुद्रा एवं हस्ताक्षर स्पष्ट नही होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा जिसका उत्तरदायित्व संस्था का रहेगा।

3. आवेदन करने की अंतिम तिथि –

3.1 स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिये प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा संस्था प्रमुख को प्रवेश लेने के 15 दिवस के अंदर आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा निर्धारित समयावधि के पश्चात या अपूर्ण आवेदनों या निर्धारित प्रमाण–पत्रों के बगैर किये गये आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर पात्रता अनुसार दिया जाना अनिवार्य है । 31 दिसम्बर तक सभी पात्र विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाना आवश्यक है ।

3.2 पूरक में आने वाले छात्रों के आवेदन पत्र पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर प्राप्त हो जाने चाहिए।

3.3 जिन संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा अथवा कांउसलिंग प्रक्रिया के कारण विलंब होता है ऐसी संस्थाओं के छात्रवृत्ति स्वीकृति के प्रस्ताव प्रवेश दिनांक के 30 दिवस के अंदर तैयार कर संस्था द्वारा नोडल अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावे।

4. आय सीमा :–

4.1 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिये विद्यार्थी के पालक की वार्षिक आय सीमा निम्नाकित है :–

क्र.	श्रेणी वर्ग	आय सीमा	छात्रवृत्ति दर
	2	3	4
1	अनुसूचित जाति	रूपये 2.50 लाख वार्षिक तक	निर्धारित दर से पूर्ण छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित
		रूपये 2.50 लाख से अधिक परन्तु रूपये 3.00 लाख से अधिक नही	केवल आधा शिक्षण शुल्क एव आधा परीक्षा शुल्क (छात्रवृत्ति नही)
2	अनुसूचितन जनजाति	रूपये 2.50 लाख वार्षिक तक	निर्धारित दर से पूर्ण छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित
		रूपये 2.50 लाख से अधिक परन्तु रूपये 3.00 लाख से अधिक नही	केवल आधा शिक्षण शुल्क एव आधा परीक्षा शुल्क (छात्रवृत्ति नही)

4.3 आय प्रमाण–पत्र एवं आय की गणना के संबंध में –

माता पिता/अभिभावक द्वारा सभी स्त्रोतो से आय बतलाते हुए, आय की घोषणा एवं आय प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा । आय का प्रमाण–पत्र केवल शासकीय कार्यालय या प्रायवेट लिमिटेड संस्था जो रजिस्टर्ड है का मान्य होगा।

अन्य प्रायवेट संस्था जैसे किसी दुकान इत्यादि का आय प्रमाण–पत्र मान्य नही है। ऐसे प्रकरण में राजस्व अधिकारी द्वारा जारी पिता/पालक का आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। विगत वर्षो में देखा गया है कि, आय प्रमाण–पत्र छात्र–छात्रा के नाम से ही जारी किया गया जो मान्य नही होगा। अमान्य आय प्रमाण–पत्र अथवा कूट रचना कर दिये गये आय प्रमाण–पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति प्रस्ताव भेजने वाली संस्था के विरूद्ध शासन से धोखाधडी करने का प्रकरण दर्ज कराया जा सकेगा।

पालक के आय की गणना सकल वेतन (मूल वेतन+डी.ए. एवं अन्य कुल परिलब्धियां) से मिलने वाले समस्त लाभों के आधार पर ही की जायेगी।

5. छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना –

5.1 शासन के निर्देशानुसार पात्र एवं सही विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति समय सीमा में स्वीकृत कर प्रदाय की जा रही है । इसके लिये संबधित संस्था एवं नोडल अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगें ।

(ख) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यकम की छात्रवृत्तिया स्वीकृत किया जाना –

5.2 शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार एवं उत्तरदायित्व संबधित संस्था के प्राचार्य/प्रमुख को पूर्व की भांति यथावत रहेगा ।

5.3 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अधिकार संबधित अशासकीय संस्था के नोडल शासकीय संस्था के प्राचार्य/प्रमुख को पूर्व की भांति प्रत्यायोजित किये जाते है । प्रत्येक नोडल शासकीय संस्था के प्राचार्य/प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र में दिये गये अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिये उत्तरदायी होगें ।

5.4 अशासकीय संस्था के प्राचार्य/प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपनी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑनलाइन छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र समय सीमा में प्राप्त करेगें और उनका परीक्षण कर पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रास्ताव अपने हस्ताक्षर एवं शील सहित संबधित नोडल शासकीय संस्था को तय समय सीमा में भेजगें ।

5.5 शासकीय नोडल संस्था के प्राचार्य/प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा की वे अशासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले छात्रवृत्ति प्रस्ताव के परीक्षण हेतु न्यूनतम दो सदस्यीय समिति बना ले और बनाकर जाच करावे । अशासकीय संस्थाओमें तीन वार आकस्मिक निरीक्षण करें । निरीक्षण के समय उपस्थित पात्र छात्र/छात्राओं को ही शासन के नियमानुसार परीक्षण कर पात्र विद्यार्थियों की स्वीकृति जारी करें । अशासकीय संस्था से छात्रवृत्ति के प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर नोडल शासकीय संस्था द्वारा पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्तिया स्वीकृतिया जारी कर सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति ,कल्याण विभाग ग्वालियर को राशि जारी करने हेतु भेजा जायेगा ।

5.6 नोडल संस्थाओं द्वारा जो भी स्वीकृतिया जारी की जायेगी उसमें स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नाम युक्त सील तथा दिनांक होना अनिवार्य है ।

5.7 छात्रवृत्ति संस्था में अध्ययनरत पात्र एवं वास्तविक विद्यार्थियो को ही स्वीकृत कर वितरित की जा रही है । इसके लिये संबधित संस्था एवं नोडल संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

5.8 गलत अथवा अपात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर यदि आदिम जाति कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त कर ली जाती है । अथवा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो इसे

घोर वित्तिय अनियमितता एवं धोखाधड़ी का प्रकरण मान्य कर संबधित संस्था एवं नोडल संस्था प्रमुख दोनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

5.9 यदि किसी छात्र द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर छात्रवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त किया जाता है तो संबधित संस्था के प्राचार्य/प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा कि उक्त छात्र के विरूद्ध उचित प्रकरण दर्ज करते हुये आदिम जाति कल्याण विभाग में भी उसकी सूचना देवें ।

5.10 शासकीय संस्था/नोडल शासकीय संस्था से छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा उपलब्ध आवंटन से छात्रवृत्ति की राशि जारी कर दी जायेगी ।

5.11 शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के आधार कार्ड होना आवश्यक है ।

6 छात्रवृत्ति का वितरण एवं शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति –

6.1 आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/फीस का वितरण सीधे छात्रों के बैंक खाते में राशि के इलेक्ट्रानिकली ट्रांसफर (आरटीजीएस अथवा एनइएफटी) द्वारा किया जायेगा ।

6.2 छात्रों को प्रदाय किये जाने वाले अनुरक्षण भत्ता एवं फीस की राशि सीधे संबधित छात्रों के बैंक खाते में भेजी जायेगी ।

6.3 चुकि राशि संबधित के बैंक खाते में में सीधे ट्रांसफर की जायेगी । इस हेतु आवश्यक है कि संबधित छात्र एवं संस्था के द्वारा अपने बैंक खाते का सही – सही व्यौरा ऑनलाइन भरा जाये । जिसमें बैंक का नाम , शाखा का नाम , बैंक का आई एफ एस सी कोड एवं खाता कमांक शामिल है । साथ ही खाता धाराक के नाम की स्पेलिंग भी बड़ी होने चाहिये जो बैंक खाते में अंकित है । यदि उक्त ऑनलाइन प्रविष्टी गलत भरी जाती है तो राशि खाते में नही जाने अथवा गलत खाते में चली जाने के लिये प्रविष्टीकर्ता स्वंय उत्तरदायी होगें ।

6.4 निर्धारित आय सीमा में आने वाले विद्यार्थियो के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है । जो किसी भी पाठ्य क्रम के लिये शासकीय संस्थाओं में लिये जाने वाले सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क (छात्रो को वापसी योग्य काशन मनी आदि को छोड़कर) के बराबर है। अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षण शुल्क में यदि कोई अन्तर की राशि है तो उन्हे स्वंय वहन करनी होगी । अशासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति शासकीय संस्थाओ के बराबर की जायेगी ।

6.5 कतिपय पाठ्यक्रमों में निजी संस्थाओं के लिये शासकीय संस्थाओं में लगने वाली औसत फीस के आधार पर अधिकतम शिक्षण शुल्क का निर्धारण किया गया है (छात्रवृत्ति हेतु) जो परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है ।

6.6 शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियो से नही ली जाये बल्कि उसकी प्रतिपूर्ति विद्यार्थियों को दी गई फीस/छात्रवृत्ति से की जाये । जिससे छात्रवृत्ति के साथ–साथ शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति भी सीधे संबधित छात्र के बैंक खाते में की जा सकेगी ।

7. अन्य राज्य के विद्यार्थी के संबंध में :–

म.प्र. राज्य में बाहर के राज्यों के अनु. जाति/अनु. जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रस्ताव उनके मूल राज्य के संबंधित जिले के कलेक्टर को स्वीकृति हेतु भेजे जायेगें। अन्य राज्य के विद्यार्थियों की स्वीकृतियां इस जिले से जारी नहीं होगी।

8. छात्रवृत्ति की राशि :–

छात्रवृत्ति में शामिल अनुरक्षण भत्ता की दर प्रतिमाह केवल अनु.जाति/जनजाति हेतु –

वर्ग	छात्रावासी विद्यार्थी	गैर छात्रावासी विद्यार्थी
1	2	3
वर्ग–1 मेडिकल एवं इंजिनियरिंग	1500	530
वर्ग–2 तकनिकीडिप्लोमा कोर्स/अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम	820	530
वर्ग–3 सामान्य डिग्री	570	300
वर्ग–4 बी.एड. एवं आई टी.आई	300	230

टीप :– यदि छात्रावासी छात्र को निशुल्क बोर्डिंग एवं लाजिंग की सुविधा उपलब्ध है अथवा छात्रावास शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जा रहा है तो उसे छात्रावासी दर की एक तिहाई छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

9. अवितरित राशि की वापसी :–

संस्था प्रमुख वर्ष के अंत में शेष रही अवितरित राशि जिसके वितरण की कोई संभावना नहीं है जैसे छात्र के संस्था छोडकर जाने से शेष रही राशि, उपस्थिति के मान से काटी गई शेष राशि, या अन्य कारणों से शेष रही राशि का चालान से शीर्ष 250 आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण की निधि प्राप्तियां बैंक ड्राफ्ट/चेक "सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ग्वालियर" के नाम से इस कार्यालय को प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करेगें। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग की अवितरित राशि वर्गवार अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट से भेजी जाये।

नोट :– बैंक ड्राफ्ट/चेक की राशि का विवरण वर्षवार व वर्गवार पत्र में अंकित करें।

10. छात्रवृत्ति वितरण का प्रमाण पत्र दिया जाना –

10.1 छात्रवृत्ति भुगतान के पश्चात् नोडल अधिकारी यह प्रमाण पत्र देगें कि उनके नोडल को उपलब्ध कराई गई राशि का शतप्रतिशत भुगतान किया जा चुका है तथा कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के लिये शेष नही है ।

10.2 स्नातक/स्नाकोत्तर हेतु उक्त प्रमाण पत्र नोडल प्राचार्य/प्रमुख द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर तक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा ।

11. नोडल शासकीय संस्था /प्राचार्य के लिये छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु चेकलिस्ट

(क) नवीन छात्रो के प्रकरण में –

11.1 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही जारी की जायेगी ।

11.2 राज्य शासन एतद् द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्ययनरत मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. , इंजीनियरिंग(बी.ई.) , नर्सिंग , बी.एड., पोलीटेक्निक डिप्लोमा , फार्मेसी (बी.फार्मा एवं एम.फार्मा) पाठ्यकमों में अध्ययनरत के लिये प्रवेश शुल्क नियामक समिति द्वारा स्वीकृति नियमानुसार प्रदान करता है –

1. प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये भी शुल्क नियामक आयोग द्वारा निर्धारित न्यूतम शुल्क की सीमा तक देय शुल्क की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।
2. जिन पाठ्कमों में केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा एवं काउन्सिलिंग की प्रकिया निर्धारित है उन पाठ्यकमों के लिये विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा तत्पश्चात् काउन्सिलिंग की प्रकिया के बाद लिये गये प्रवेश के आधार पर प्रवेश परीक्षा की मैरिट (प्रावीण्यता कम) अनुसार मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत रहने पर ही अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

3. उल्लेखित पाठ्यक्रमों में पूर्व वर्षो में भी प्रवेश परीक्षा या अशासकीय महावविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा की मैरिट (प्रावीण्यता कम) अनुसार से अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जायेगा ।

4. मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत उल्लेखित पाठ्यक्रमों में जिनमें प्रवेश परीक्षा काउन्सिलिंग व्यवस्था केन्द्रीयकृत नही है उन पाठ्कमों के लिय अर्हताधारी परीक्षा के अकों की मैरिट(प्रावीण्यता कम) के आधार पर अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

5. अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति का लाभ मध्य प्रदेश के निवासी उस विद्यार्थी को देय होगी जिसके अभिभावक की वर्तमान में वार्षिक आयु अनुसूचित जाति के लिये 3.00लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 3.00लाख तक है ।

6. अशासकीय महाविद्यालयों में उपरोक्त पाठ्कमों की प्रतिपूर्ति के लिये आय – प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य होगा । जारी किये गये आय प्रमाण –पत्रों की पुष्टि शिक्षण संस्था प्रमुख करायेंगे ।

7. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय –समय पर आय सीमा में की जाने वाली वृद्धि अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिये मान्य होगी ।

8. **योजनान्तर्गत समस्त राशि विद्यार्थियों को उनके आधार लिंक्ड (यूनिक आई डी. नम्बर) बैंक खातों में निर्वाह भत्ता के साथ भुगतान की जायेगी ।**

9. अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिये भारत सरकार की अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियम एवं पात्रता की समस्त शर्ते पूर्ववत रहेगी।

10. शुल्क प्रतिपूर्ति की यह सुविधा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विधिवत मूल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) /माइग्रेशन सर्टीफिकेट के आधार पर संस्था में किये गये स्थाई प्रवेश पर ही मान्य होगी ।

11. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की डफप्लीकेट प्रति के आधार पर लिये गये प्रवेश का पुष्टिकरण विभाग के जिला अधिकारी करेगें । तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को उल्लेखित सुविधा देने के संबंध में शासन/विभाग के निर्देशों के तहत विचार किया जावेगा।

12. प्रत्येक अशासकीय महाविद्यालय को विद्यार्थी के प्रवेश के एक माह के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति (छात्रवृत्ति) का प्रस्ताव नोडल संस्था के माध्यम से जिला कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों के साथ ऑनलाईन /ऑफ लाईन प्रेषित करना अनिवार्य होगा 31 दिसम्बर तक जमा किये जायेगें । इस तथ्य से विद्यार्थी को संस्था प्रमुख अनिवार्य अवगत कराये एवं स्वतः भी पालन सुनिश्चित् करें ।

2.10 **अनुसूचित जनजाति हेतु** – (म.प्र.शासन अ.जा.क.विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक एफ–23–5 भोपाल दिनांक 11.09.2013 । अशासकीय संस्थाओं के लिये विभाग द्वारा शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी निर्देश जारी किये है । उक्त निर्देशों में निम्नानुसार प्रावधान सम्मिलित किये जाते जाते है –

1. अशासकीय संस्था के लिये विभाग द्वारा दी गई शिक्षण शुल्क की राशि का संस्था को भुगतान विद्यार्थी द्वारा किया गया अथवा नही यह पुष्टि पोस्ट मैट्रिक छात्रृत्ति अन्तर्गत नवीनीकरण आवेदन पत्र में स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

2. संबंधित शिक्षण संस्था में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रत्येक सेमिस्टर /वर्ष में (लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग – अलग) परीक्षाफल यदि 75 प्रतिशत से कम रहेगा जो भविष्य के लिये संबंधित शिक्षण संस्था को अपात्र माना जायेगा ।

3. संबंधित शिक्षण संस्था में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रवेशित विद्यार्थियों को आगामी सेमिस्टर /वर्ष के लिये पुनरीक्षित शिक्षण शुल्क की पात्रता नही होगी ।

4. शिक्षण संस्था में प्रवेशित आदिवासी वर्ग के विद्यार्थी यदि (युक्ति युक्त कारणों को छोड़कर) परीक्षा में सम्मिलित नही होते है तो स्वीकृत पुनरीक्षित शिक्षण शुल्क की राशि विद्यार्थी से भू–राजस्व की वसूली की भांति की जावेगी एवं संबंधित विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल टीका भी दर्ज की जा सकेगी ।

5. विद्यार्थी के आधार इनेबल्ड बैंक खाते में शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा । विद्यार्थी के बैंक खाते में प्राप्त शिक्षण शुल्क राशि संबंधित विद्यार्थी द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्था के बैंक खाते में बैंक के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी । प्रथम चरण में सितम्बर माह में 50 प्रतिशत दिसम्बर – जनवरी में 40 प्रतिशत तथा परीक्षा के बाद 10 प्रतिशत जारी की जायेगी ।

6. उपरोक्त देय शिक्षण शुल्क की राशि आधार इनबल्ड बैंक खातें में विद्यार्थी को जिला कार्यालय द्वारा भुगतान की जायेगी ।

7. विद्यार्थी के खाते से अशासकीय संस्था के बैंक खाते में किये गये शुल्क भुगतान की पुष्टि तथा विद्यार्थी की संस्था में उपस्थिति की पुष्टि प्रत्येक से सेमिस्टर उपरान्त 6 माह में विभाग द्वारा की जायेगी ।

अशासाकीय संस्थाओं में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान के लिये अभिलेखों का संधारण –

(क) विद्यार्थी का संस्था में नियमित नामांकन ।

(ख) विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति ।

(ग) सभी छात्रवृत्ति आधार कार्ड के अनुसार बैंक के खाते के माध्यम से प्रदान की जायेगी । अतः बैंक खाता एवं आधार कार्ड की छायाप्रति ।

(घ) विद्यार्थी का माइग्रेशन सर्टीफिकेट एवं अन्य मूल टी.सी. संस्था में रखे जायेगें ।

(ड़) संस्था स्वयं की बायोमैट्रिक मशीन क्रय करेगा । बायोमेट्रिक मशीन से वेब आधरित ऑन लाईन बायोमेट्रिक उपस्थिति रटिस्ट्रेशन की व्यवस्था संस्था को अपने व्यय पर करनी होगी । इस संबंध में विभाग द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया जायेगा तथा विभाग द्वारा तथा विभाग द्वारा अन्य तकनीकी मापदण्ड तय किये जायेगें । संस्था में उपस्थिति पंजी भी रखी जायेगी ।

(च) उपस्थिति नोडल अधिकारी प्राचार्य द्वारा समय – समय पर वर्ष में न्यूनतम 4 बार सत्यापित की जायेगी तथा उसको बेबसाइट पर भी उनके द्वारा प्रकाशित कराया जावेगा । इसके पश्चात् 40 प्रतिशत छात्रवृत्ति जारी की जायेगी ।

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिने विद्यार्थियों के लिये विभाग द्वारा उपरोक्त नवीन दर से शिक्षण शुल्क को स्वीकृत/भुगतान किया जायेगा । उन विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क के संबंध में विभाग का दायित्व विद्यार्थी के आधार कार्ड/बैंक खाते में राशि का भुगतान तक सीमित रहेगा ।स्वीकृति के साथ संस्था प्रमुख/नॉडल अधिकारी द्वारा निम्न जानकारी संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा –

अनुसूचित जाति वर्ग के लिये –

(1) मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विद्यार्थियों की स्वीकृति/वितरण की जानकारी का प्रदाय।

जिला – ग्वालियर

	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत संख्या			स्वीकृति राशि लाखों में			रिमार्क
		बालक	बालिका	योग	निर्वाह भत्ता	न्यूनतम अनिवार्य शुल्क	योग	
1	बी.ई.							
2	बी.फार्मा							
3	एफ.फार्मा							
4	पोलीटेक्निक							
5	एम.बी.बी.एस.							
6	बी.डी.एस.							
7	नर्सिंग							
8	बी.एड.							

प्रपत्र–1

भौतिक लक्ष्य–अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

2014–15 (वास्तविक)

	अनुसूचित जाति				योग
	छात्रावासी		गैर छात्रावासी		
समूह	बालक	कन्या	बालक	कन्या	
1	2	3	4	5	6
समूह 1					
समूह 2					
समूह 3					
समूह 4					
पत्राचार पाठ्यक्रम					
योग					

2014–15 (अनुमानित)

	अनुसूचित जाति				योग
	छात्रावासी		गैर छात्रावासी		
समूह	बालक	कन्या	बालक	कन्या	
1	2	3	4	5	6
समूह 1					
समूह 2					
समूह 3					
समूह 4					
पत्राचार पाठ्यक्रम					
योग					

प्रपत्र–2

भौतिक लक्ष्य–अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभांवित निःशक्त विद्यार्थियों की जानकारी

2014–15 (वास्तविक)

	अनुसूचित जाति				योग
	छात्रावासी		गैर छात्रावासी		
समूह	बालक	कन्या	बालक	कन्या	
1	2	3	4	5	6
समूह 1					
समूह 2					
समूह 3					
समूह 4					
पत्राचार पाठ्यक्रम					
योग					

2014–15 (अनुमानित)

	अनुसूचित जाति				योग
	छात्रावासी		गैर छात्रावासी		
समूह	बालक	कन्या	बालक	कन्या	
1	2	3	4	5	6
समूह 1					
समूह 2					
समूह 3					
समूह 4					
पत्राचार पाठ्यक्रम					
योग					

प्रपत्र–5

अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत सरकार की दरों के अलावा राज्य स्त्रोत से विभिन्न मदों में वर्ष 2014–15 में लाभान्वित विद्यार्थियों की जानकारी

क्र.	मद	छात्रावासी		गैर छात्रावासी		योग	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	व्यवसायिक पाठ्यक्रम (इंजी.मेडी.अन्य) में दिया जा रहा निर्वाह भत्ता						
2	2.50 लाख से 3.00 लाख तक आय सीमा वाले विद्यार्थी						
3	योग						

प्रपत्र–6

जिलेवार बकबैंक योजना की प्रगति (वर्ष 2014–15 में)

क्र.	जिला	संस्था	पाठ्क्रम	विद्यार्थी की संख्या	पुस्तक सेट की संख्या	अलमारी कीसंख्या	पुस्तक सेटस की कीमत	अलमारी कीकीमत	कुल कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिलेवार बकबैंक योजना की प्रगति (वर्ष 2015–16 में)

क्र.	जिला	संस्था	पाठ्क्रम	विद्यार्थी की संख्या	पुस्तक सेट की संख्या	अलमारी कीसंख्या	पुस्तक सेटस की कीमत	अलमारी कीकीमत	कुल कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Shah

अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये –

अनुसूचित जनजाति के वर्ग के विद्यार्थियों को अशासकीय महाविद्यालयों में फीस नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क का भुगतान

जिला – ग्वालियर

प्रपत्र–1

वर्ष 2014–15 में 2.50लाख रू.तक वार्षिक आय वाले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण की प्रगति 31 मार्च 2015 जिले का नाम– ग्वालियर (राशि लाखों में)

–भारत सरकार की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत अर्थात (2.50 लाख वार्षिक आय सीमा)

क.	श्रेणी/ समूह		स्वीकृति				वितरण				भुगतान हेतु लबित दायित्व	
		प्राप्त आवंटन	छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता)	फीस / शुल्क की प्रतिपूर्ति	योग	विद्यार्थी संख्या	छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता)	फीस / शुल्क की प्रतिपूर्ति	योग	विद्यार्थी संख्या	राशि	छात्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I											
2	II											
3	III											
4	IV											
5	पत्राचार पाठ्यक्रम											
	योग											

प्रपत्र–2

वर्ष 2014–15 में अनुसूचित 2.50लाख तक वार्षिक आय वाले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को भारत सरकार की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत 31.03.2015 की स्थिति स्वीकृत की जानकारी (राशि लाखों में) जिला – ग्वालियर

कं		**छात्रावासी**									**गैर छात्रावासी**								
	श्रेणी समूह	छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता)			फीस /शुल्क की प्रतिपूर्ति			विद्यार्थी संख्या			छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता)			फीस /शुल्क की प्रतिपूर्ति			विद्यार्थी संख्या		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	य
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	समूह I																		
	1.चिकित्सा एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस/आर्युवेदिक / हाम्योपैथी																		
	2.इंजीनियरिंग																		
	3.बी.ए.सी.(कृषि) वी.व्ही.एस.सी./ बी.एफ.सी.(मत्सय)																		
	योग (1,2,3)																		
2	समूह II																		
3	समूह III																		
4	समूह IV																		
	योग																		

प्रपत्र–3

वर्ष 2014–15 में अनुसूचित 2.50लाख से 3.00 लाख तक वार्षिक आय वाले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को भारत सरकार की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत 31.03.2(
की स्थिति में स्वीकृत की जानकारी (राशि लाखों में) जिला – ग्वालियर

क्र.		छात्रावासी									गैर छात्रावासी							
	श्रेणी समूह	छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता)			फीस /शुल्क की प्रतिपूर्ति			विद्यार्थी संख्या			छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता)			फीस /शुल्क की प्रतिपूर्ति			विद्यार्थी संख्या	
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	समूह I																	
	1.चिकित्सा एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस/आर्युवेदिक / हाम्योपैथी																	
	2.इंजीनियरिंग																	
	3.बी.ए.सी.(कृषि) वी.व्ही.एस.सी./ बी.एफ.सी.(मत्सय)																	
	योग (1,2,3)																	
2	समूह II																	
3	समूह III																	
4	समूह IV																	
	योग																	

प्रपत्र–4

वर्ष 2014–15 में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति वार्षिक आय 2.50लाख अन्तर्गत लाभान्वित निःशक्त अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का प्रगति 31 मार्च 2015 (राशि लाखों में)

क.	जिले का नाम	समूह	वर्ष 2013–14 में लाभान्वित विद्यार्थी				वर्ष 2014–15 में अनुमानित लाभान्वित विद्यार्थी			
			बालक		कन्या		बालक		कन्या	
			छात्रावास	गैर छात्रावासी	छात्रावास	गैर छात्रावासी	छात्रावास	गैर छात्रावासी	छात्रावास	गैर छात्रावासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ग्वालियर									
1										
1		I								
2		II								
3		III								
4		IV								

प्रपत्र–5

वर्ष 2014–15 में 2.50लाख वार्षिक आय वाले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को भुगतान की गई फीस का विवरण 31 मार्च 2015 की स्थिति में (राशि लाखों में)

कं.	जिले का नाम	समूह / श्रेणी	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	छात्रावासी			गैर छात्रावासी		
					न्यूनतम भुगतान की गई फीस की राशि	अधिकतम भुगतान की गई फीस की राशि	अंतर / भिन्नता का कारण	न्यूनतम भुगतान की गई फीस की राशि	अधिकतम भुगतान की गई फीस की राशि	अंतर /भिन्नता क कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रपत्र–6

वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति वार्षिक आय 2.50 लाख अन्तर्गत शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में भुगतान की गई फीस / शुल्क 31 मार्च 2015 तक की स्थिति में (केवल अनुसूचित जनजाति) (राशि लाखों में)

समूह	पाठ्यक्रम	कुल संस्थाओं की संख्या	कुल विद्यार्थीं की संख्या	छात्रावासी						गैर छात्रावासी					
				शासकीय , स्वशासी संस्थायें			अशासकीय संस्थायें			शासकीय , स्वशासी संस्थायें			अशासकीय संस्थायें		
				संस्था की संख्या	विद्यार्थी की संख्या	भुगतान की गई फीस /शुल्क	संस्था की संख्या	विद्यार्थी की संख्या	भुगतान की गई फीस /शुल्क	संस्था की संख्या	विद्यार्थी की संख्या	भुगतान की गई फीस /शुल्क	संस्था की संख्या	विद्यार्थी की संख्या	भुगतान की गई फीस /शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	I														
2	II														
3	III														
4	IV														
	योग														

प्रपत्र–7

बुक बैंक योजनान्तर्गत (वार्षिक आय 2.50 लाख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु कय की गई पुस्तक सेट एवं अलमारी की जानकारी वर्ष 2014–15 जिला – ग्वालियर (राशि लाख में)

			स्नातक स्तर हेतु कय की गई पुस्तक सेट एवं अलमारी						स्नात्कोत्तर स्तर हेतु कय की गई पुस्तक सेट एव अलमारी					
क.	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यकम /कोर्स का नाम	छात्र संख्या	बुकसेट संख्या	लगत राशि	अलमारी की संख्या	लागत राशि	कुल राशि (कॉलम 6–8)	छात्र संख्या	बुकसेट संख्या	लगत राशि	अलमारी की संख्या	लागत राशि	कुल राशि (कॉलम 6–8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रपत्र–8

वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत (रू.3.00लाख की वार्षिक आय सीमा) स्वीकृति/ वितरण 31 मार्च 2015 की स्थिति में जिले का नाम – ग्वालियर (राशि लाखों में)									
कं.	श्रेणी / समूह	स्वीकृति				वितरण			
		विद्यार्थी संख्या				विद्यार्थी संख्या			
		फीस/ शुल्क की प्रतिपूर्ति	बालक	कन्या	योग	फीस/ शुल्क की प्रतिपूर्ति	बालक	कन्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I								
2	II								
3	III								
4	IV								
	योग								

प्रपत्र–9

वर्ष 2014–15 में पोस्ट छात्रवृत्ति अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले कक्षा 11 एवं 12 के अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी जिनकी रू. 2.50लाख वार्षिक आय तक स्वीकृति/ वितरण की जानकारी										
	जिले का नाम									
कं.	वर्ष	छात्रावासी			छात्रावासी			निःशक्त		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014-15									
वर्ष 2014–15 वार्षिक आय रू. 3.00लाख वाले लाभान्वित विद्यार्थी										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014–15									

प्रपत्र–10

वर्ष 2014–15 में नवीन प्री पोस्ट छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 योजनान्तर्गत रू. 2.50लाख वार्षिक आय वाले प्रवेशित अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी की जानकारी एवं 2014–15 भौतिक लक्ष्य										
	जिले का नाम	–ग्वालियर								
कमांक	वर्ष	छात्रावासी			छात्रावासी			निःशक्त		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014-15									
	2015–16 के लक्ष्य									

अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को अशासकीय महाविद्यालयों में फीस नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क का भुगतान

क्र	पाठ्यक्रम	अशासकीय संस्थाओं की संख्या	अशासकीय संस्थाओं की संख्या जिनमें अनु.ज.जा. विद्यार्थी अध्यनरत है	प्रथम बार प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या	छात्रवृत्ति/शुल्क हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की संख्या	कितनी अशासकीय संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त नही हुये	स्वीकृति		वितरण		पाठ्यक्रम में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या					
							छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता)	शुल्क/फीस	छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता)	शुल्क/फीस	द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष	
											संख्या	स्वीकृत राशि	संख्या	स्वीकृत राशि	संख्या	स्वीकृत राशि
1	एम.बी.बी.एस.															
2	बी.डी.एस.															
3	बी.ई.															
4	फार्मेसी कोर्स (बी. फार्मा एवं उससे उच्च)															
5	डिप्लोमा इंजीनियरिंग (पॉलीटेक्निक)															
6	नर्सिंग															
7	बी.एड.															

विषय –अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सभी कोर्सो में सभी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सूची अलग–2 निम्न प्रपत्र में संलग्न कर भेजेगें ।

क्र.	पाठ्यक्रम	क्र.	विद्यार्थी का नाम/पिता का नाम	संस्था का नाम	स्वीकृत राशि			वितरित राशि			रिमार्क
					निर्वाह भत्ता	शुल्क	योग	निर्वाह भत्ता	शुल्क	योग	

11.3 छात्रवृत्ति की पात्रता म.प्र.के निवासी विद्यार्थियों को ही होगी , परन्तु इसके लिये पृथक से निवास प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नही है । म.प्र.का स्थाई जाति प्रमाण पत्र म.प्र.के निवासी होने के स्वयं प्रमाण है ।

11.4 परिपत्र मे दिये विवरण अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण के आधार पर ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी ।

11.5 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल वे छात्र ही पात्र होगें जिसका प्रवेश मूल टी.सी.के आधार पर लिया गया है ।

11.6 यदि पिछली कक्षा एवं वर्तमान कक्षा में गैप है तो छात्र को इस गैप हेतु शपथ पत्र देना होगा कि इस दौरान वह कही और अध्ययन नही रहा है ।

11.7 समान डिग्री हेतु पूर्व में छात्रवृत्ति दिये जाने के पश्चात् पुन' छात्रवृत्ति देय नही होगी । उदाहरण के लिये यदि किसी भी विद्यार्थी ने एम.ए. किया है और छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो पुनः किसी अन्य विषय से एम.ए.करता है तो उसे पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी ।

11.8 अशासकीय संस्थाओं में अध्यनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति के लिये आवश्यक है कि उस संस्था के पास संबधित पाठ्यक्रम संचालित करने की सक्षम मान्यता सक्षम , प्राधिकार/संस्था को प्राप्त हो । मान्यता संबधी परीक्षण के पश्चात् ही अशासकीय संस्थाओ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाये ।

11.9 अशासकीय संस्थायें जितनी सीट्स स्वीकृत है प्रवेश उससे अधिक सीट्स पर नही हुआ हो। स्वीकृत सीट के बराबर तक प्रवेशित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे।

11.10 छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण अंक सूची संलग्न होना अनिवार्य है ।

(ख) **नवीनीकरण के प्रकरण में** –

11.11 नवीनीकरण के प्रकरण में छात्र द्वारा पूर्व वर्ष की उत्तीर्ण की अंकसूची लगाया जाना पर्याप्त होगा ।

11.12 अशासकीय संस्थाओं के लिये यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि उनकी मान्यता समाप्त नही की गई है ।

11.13 छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु उपर्युक्त के अतिरिक्त नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ अन्य किसी दस्तावेज की पुनः मांग नही की जायेगी । यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रकरण संदिग्ध लगता है या कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह पर्याप्त कारण के होते हुये पुनः आवश्यक दस्तावेज की मांग कर सकेगा

12. अन्य निर्देश –

12.1 संस्थाओं में छात्र/छात्रओ को छात्रवृत्ति संबधी जानकारी उपलब्ध नही कराने से छात्र/छात्रा परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय एवं आदिम जाति कल्याण विभाग , ग्वालियर में अनावश्यक परेशान होकर चक्कर लगाते रहते है जिससे उनका पढ़ाई का समय नष्ट होता है जो छात्रो के उत्पीड़न की श्रेणी में आता है । यह शासन की मंशा के विपरीत भी है । अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति संबधी समस्त जानकारी संस्था में ही उपलब्ध कराई जावे ताकि छात्र/छात्रा इधर–उधर भटकने पर मजबूर नही हों । यदि किसी संस्था द्वारा शासन आदेशों के विपरीत कार्य किया जाता है तो अत्याचार निवारण अधिनियम तथा अन्य नियम निर्देशों के तहत् संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

12.2 यदि प्रवेश माह की 20तारीख के बाद होता है तो उसे आगामी माह से छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

12.3 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की छात्रवृत्ति अगली कक्षा में प्रवेश के पश्चात ही जारी की जावेगी। यदि किसी वर्ष या सेमेस्टर में बैंक रूकावट आती है और बैक का परीणाम आने तक आगामी कक्षा में प्रवेश की अनुमति देकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली जाती है, बाद में विद्यार्थी बैक में भी फेल होने के कारण पूर्व की कक्षा में बना रहता है तो ऐसे प्रकरण में संपूर्ण छात्रवृत्ति की राशि तत्काल विभाग को वापस की जावेगी। किसी भी दशा में जो पाठ्यक्रम जितने वर्षो के लिए निर्धारित है उससे अधिक की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जाये।

12.4 संस्था द्वारा विलंब से (निर्धारित तिथि के बाद) स्वीकृति प्राप्त होने पर आवंटन उपलब्ध नहीं होने की दशा में संस्था प्रमुख उत्तरदायी होगें।

12.5 शासकीय नोडल महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ समस्त अशासकीय महाविद्यालयों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत करायेगें।

12.6 समस्त संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति स्वीकृती एवं वितरण की जानकारी प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को कलेक्ट्रेट ,अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय मे नही भेजा जावे यदि कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी आदिम जाति कल्याण विभाग में स्वयं सम्पर्क करे या कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 2330948 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

12.7 नोडल संस्था प्रमुख द्वारा छात्रवृत्ति कार्य के लिए उनके यहॉ गठित समिति के सदस्यों के नाम सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण ग्वालियर को भेजेगें ।

12.8 प्रत्येक शासकीय नोडल संस्था प्रमुख प्राचार्य अपनी संस्था से सम्बद्ध अशासकीय संस्थाओं की नियमानुसार सही स्वीकृति जारी करने के लिये पूर्णतः उत्तरदायी होगें। शासकीय नोडल संस्था/संकुल के द्वारा दल गठित कर छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व संबधित अशासकीय संस्था का भौतिक निरीक्षण कर संस्था में वास्तविक रूप से अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृति जारी की जायेगी । नोडल संस्था से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि जारी की जाती है । अतःकिसी प्रकार की गलत स्वीकृति के आधार पर यदि राशि

यदि राशि जारी होती है तो उसके लिये संबधित नोडल / संकुल संस्था प्राचार्य / प्रमुख के विरूद्ध आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी ।

वर्ष 2014–15 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित किये जाने हेतु शासन के निर्देशों के अधीन ग्वालियर जिले में छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु उपर्युक्तानुसार जारी निर्देश एवं कार्य योजना का पालन सुनिश्चित् करें। छात्रवृत्ति स्वीकृति एंव वितरण के किसी प्रकार की कठिनाई आने पर तत्काल आदिम जाति कल्याण विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर तथा समय सीमा में छात्रवृत्ति के प्रकरण प्राप्त कर स्वीकृतिया जारी की जाये ।

(पी.नरहरि)
कलेक्टर
जिला ग्वालियर

पृ. क्र. / पो.मे.छा. / परिपत्र / 2014–15 / 1432 ग्वालियर, दिनांक, 4/8/2014

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, अनुसूचति जाति विकास म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. भोपाल।
4. नोडल अधिकारी / कुल सचिव जीवाजी विश्व विद्यालय ग्वालियर
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला ग्वालियर ।
7. जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय, ग्वालियर।
8. नोडल अधिकारी / अधिष्ठाता / निदेशक / प्राचार्य शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय (समस्त) ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
9. क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर।
10. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर।

(पी.नरहरि)
कलेक्टर
जिला ग्वालियर